



इलीनॉईको इलीशन : फॉर इमीग्रेंट्स एंड रिफ्यूजी राइट्स

पाब्लिकसिद्धार, डों से कचे हु एअफ कासिओं के लिचे इलीनॉईमें सार्कजनिकसहायता  
PUBLIC ASSISTANCE FOR IMMIGRANT SURVIVORS OF DOMESTIC  
VIOLENCE IN ILLINOIS (Hindi version)

मैं नागरिक नहीं हूँ ।  
मैं उग्र घरेलू अत्याचारों से निकलने की चেষ कर रहा हूँ ।  
क्या मुझे सार्वजनिक सहायता मिल सकती है ?

अगर आप घरेलू अत्याचारों के शिकार हैं तो आपको नकद चिकित्सीय सहायता मिल सकती है । यदि:

- आप कानूनी रूप से स्थाईप वासी हैं (एलपीआर); या
- आपने स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचारकानून के अंतर्गत दावा दर्ज किया है; या
- कानूनीस्थापिकासीदा सार्वजनिक पाब्लिकसिद्धार के माते, सिवासीहोरे के लिचे अके दपत्र द्वाहा; या
- आपने आवेदन किया है या आपको हटाये जाने/निष्कासन का स्वीकरण मिल गया है ।

मुझे किस प्रकार की सहायता मिल सकती है ?

यह मादरे नहीं खता है कि आपके संतु कर्षणों ककष के स किया है, आप प्राप्त कर सकते हैं :

- टीएनएफ धन सहायता अगर आपकी आमदनी कम है और आपके बच्चे हैं;
- एबीडी धन सहायता अगर आप 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं या अपाहिज हैं;
- अगर आप अकेले कसक हैं जो काम नहीं कर सकते हैं, तक आप अरिस्स सहायता धन सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।
- चिकित्सीय सहायता जिसमें शामिल है: में डीकेड और किडकेयर ।
- यदि आप संतु कर्षणों कानूनीस्था से 8/22/96 के बादसे रहे हैं, तक आप दो म अफ कासीदा फूड स्टेम्प प्राप्त कर सकते हैं ।

मुझे कानून से दस्तावेजों की जरूरत है ?

यह दिखाने हुचे आपको कतामा देना कि आप अरिस्स सिवासीहोरे सार्वजनिक सहायता कचे हैं, या अरिस्स सिवासीहोरे निवासी के पति/पत्नी या बच्चे हैं :

- ग्रीन कार्ड; या
- I-360 फार्म जो कि महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारकानून के अंतर्गत दावा स्वतः किया गया है; या
- I-130 पारिवारिक आप वासी वीजा की अर्जी; या
- हटाये जाने के सह करने के लिये या निष्कासन को रोकने के लिये दावा; या
- अतिरिक्त सरकारी दस्तावेज ।

आपको यह साबित करना होगा कि --

अरिस्स सिवासीहोरे, कानूनीस्थापिकासीदा सार्वजनिक पाब्लिकसिद्धार जो आपके साधने हैं, आपके साधु बर्कहार किया है; अथवा

अपकीसके सारा प्रिना है :: राकचे है :: जो किसीके सिी सारकिरा कासू सीस्थादीप हासीअभा पाकिरि सदस्य जिनेके साथ आप रहे है :: उहोने आपके साथ दु बर्बहारकिरा है ,वह दिखारते हु ए

- I-360: फार्म जो कि महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारकनून के अंतर्गत दवा को अनुमोदित: फार्म I-797; या
- एक सु रक्षा का आदेश अथवा आपराधिक दु बर्बहारकसे वाले के खिलाफ आपराधिक दंड ;या
- ए लिस सिोर्ट अथवा चिकित्सा संबं धीअथवा अद को ईदस्तावे: ज जो दु बर्बहारदस्तावे हो: ;या
- घरे लू हिंसा अथवा सामाजिक सेवा पं दान कसे वालो की तरफ से बयान ;या
- पस्चिारवे स,पं डो सिरो वा दू सरे द्वारा सप्रपथ कदान किवे दु बर्बहारके बारे में जानते है ;या
- स्वयं का सशपथ बयान ; या
- दू सरे सरकारी दस्तावे: ज ।

आपको यह साबित करा देना कि दु बर्बहारके कास आपको सहायता की जरूरत है -जै से कि अन्न-निर्भर होने के लिये सहायता दु बर्बहारसे शारिकतने के लिये ,खो रे हु एअर्थिकसहारे की पू र्ति दु बर्बहारके कास खो ईहु ईना करी की भरपाई,चिकित्सा मिलना या अपने बच्चों की देखभाल ,  
आ र

अपसाबित करे कि आप अपने दु बर्बहारसे अन्न रह रहे है :: या सहायता मिलने से एक महीने के अन्न अन्न रहना चाहते है ::

आरआपके पास दस्तावे: ज नहीं है :: रकषीअपटीएफ, फू-ड स्टै म्स,रकचो की देखभाल,WC(औ से), शिशु औ रकचे खाद्यअपू र्ति)या दू सरे प्रो ग्रास सारकि औ सो म अप हासीरकचे के लिये मिल सकते है :: ।अई डीएफ एके के स कारकिनाके आपके आ हासीस्थितिके बारे में पू छने का अधिकारही है ,आरआप केवल अपने बच्चे के लिये लाभ की पंाथना कर रहे है :: ।

को ईरफकीरहिता,चाहे उसकी जो भीअप हासीस्थितिहो ,पू सू रिसे रहते की देखभाल प्राप्त करसकतीहै औ रWC(औ से), शिशु औ रकचे खाद्यअपू र्ति)अपने तथा अपने बच्चे के लिये प्राप्त करसकतीहै ।

हरकिसीको अपारकातीन देखभाल तथा दु: पदा करकी इनके टीकाकस अपने तथा अपने बच्चे के लिये पंाप्त करसकता है !

धन,खाद्य तथा मेडिकल सहायता के आवे दके लिये आमीडलीनॉईडिपार्ट मे ट ऑफ हू म स र्विसि: ज (DHS)के ऑफिस पर जाईये ।

यदिआपको पास्चिारिक अं झग: डो के बारे में बात कसे की आवश्यकता है तो: फोन करे :

1-877-863-6338

या

1-800-799-7233

(कु-क काउन्टीमें)

(राष्ट्रीय पास्चिारिक अं झग: डो हाट लाइन)

आ रअधिक जान कारीके लिए इलीनॉईकाे इलीश न: फारइमि गेट एन्ड रि प्यू: जीर इट्स काे (312) 332-7360 पर: फोन करे ; (312) 332-7044 परफैक्स करे ; या [info@icirr.org](mailto:info@icirr.org) परईमेल करे